

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश साहूकार ( संशोधन ) विधेयक, २०१७

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ११-क का संशोधन.
४. धारा ११-ख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.
५. धारा ११-खख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.
६. धारा ११-ग का संशोधन.
७. धारा ११-च के स्थान पर नई धारा का स्थापन.
८. धारा ११-चच का संशोधन.
९. धारा ११-चचच का स्थापन.
१०. धारा ११-छ का संशोधन.
११. धारा ११-झ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१७

### मध्यप्रदेश साहूकार ( संशोधन ) विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, १९३४ ( क्रमांक १३ सन् १९३४ ) को और संशोधित करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अट्टसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश मनी लेण्डर्स एक्ट, १९३४ ( क्रमांक १३ सन् १९३४ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ के खण्ड ( नौ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

धारा २ का संशोधन.

“तहसीलदार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ( क्र. २० सन् १९५९ ) की धारा १९ की उपधारा ( १ ) के तहत नियुक्त किया गया कोई तहसीलदार.

३. मूल अधिनियम की धारा ११-क की उपधारा ( १ ) में, शब्द “रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी” के स्थान पर शब्द “तहसीलदार” स्थापित किया जाए.

धारा ११-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ११-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ११-ख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

११-ख. ( १ ) प्रत्येक व्यक्ति, जो साहूकारी का कारोबार करता है या करने का आशय रखता है, उस क्षेत्र के, जिसमें वह ऐसा कारोबार करता है या करने का आशय रखता है, तहसीलदार को आवेदन करके स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवायेगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर तहसीलदार उसे ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो साहूकारों की फर्म या साहूकारों की फर्म के भागीदार के रूप में इस प्रकार तब ही रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जब वह भागीदारी अधिनियम, १९३२ ( क्रमांक ९ सन् १९३२ ) की धारा ५९ के अधीन फर्म के रजिस्टर में की गई उस प्रविष्टि की जिसमें ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति फर्म या भागीदार के रूप में दर्शाया गया हो, एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार के समक्ष पेश करे, अन्यथा नहीं:

परन्तु यह और भी कि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संविधान के अनुच्छेद २४४ के खण्ड ( १ ) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का कारोबार करने के लिए नहीं दिया जाएगा.

( २ ) उपधारा ( १ ) के अधीन किया गया आवेदन लिखित में होगा और “उसमें वह क्षेत्र, जिसमें आवेदक साहूकारी का कारोबार करता है या करने का आशय रखता है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जैसी विहित की जाएं”.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ खख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा ११-खख के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

“११-खख. मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारंभ के पूर्व जिला पंचायत द्वारा धारित समस्त अभिलेख तहसीलदार को अंतरित हो जाएंगे.”.

धारा ११-ग का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ११-ग की उपधारा (१) में, शब्द रजिस्ट्रीकरण फीस के पश्चात्, शब्द "ऐसे प्रत्येक जिले के संबंध में, जिसमें कि वह साहूकारी का कारोबार करता हो या करने का आशय रखता हो" अंतःस्थापित किया जाए.

धारा ११-च के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ११-च (२) एवं (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

"(२) जो कोई अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे जुर्माने से जो "पांच हजार" रुपए तक का हो सकेगा या यदि उसे उस उपधारा के अधीन पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो ऐसे जुर्माने से, जो "पच्चीस हजार" रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा.

(३) जो किसी अनुसूचित क्षेत्र में उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, "वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो "पच्चीस हजार" रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा."

धारा ११-चच का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ११-चच में शब्द "दो हजार" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार" और "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा ११-चचच का स्थापन.

९. मूल अधिनियम की धारा ११-चच के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"११-चचच. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण किए बिना साहूकारी का कारोबार किए जाने संबंधी प्रकरण संज्ञान में आने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार प्रथम दृष्टया ऐसे साहूकारों को चिन्हित करेगा तथा प्रकरण की जांच करेगा एवं सही पाए जाने पर धारा ११-च में विहित जुर्माने से दंडित करेगा."

धारा ११-छ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ११-छ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(१) उपखंड अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी भी क्षेत्र में धारा ११-च की उपधारा (१) के विरुद्ध अपराध किया है और किसी क्षेत्र में धारा ११-चच की उपधारा के विरुद्ध अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए प्रतिकर के तौर पर, ऐसी धनराशि, जो "पच्चीस हजार" रुपए से अधिक न हो, प्रतिग्रहीत कर सकेगा."

धारा ११-झ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

११. मूल अधिनियम की धारा ११-झ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"११-झ. मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम, २०१७ के प्रारंभ के पूर्व इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस कालावधि तक के लिए, जिसके लिए वह मंजूर किया गया था, प्रवृत्त बना रहेगा."

